UPLK010139962022

न्यायालय Additional District and Sessions Judge Court No 7, Lucknow

Sessions Case- 1606/2022

STATE OF U.P. Vs. AVINASH PANDEY AND OTHERS

दिनांक–20.04.2024

पत्रावली पेश हुई।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील (क्रिमिनल) सं0–9090/2022 में पारित आदेश दिनांकित 02.04.2024 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई। सादर अवलोकन किया। पत्रावलित हो।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अविनाश पाण्डेय जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। शेष अभियुक्तगण कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं अमिता पाण्डेय जमानत पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

साक्षी पी0डब्लू0–3 अर्चना द्विवेदी भी साक्ष्य हेतु उपस्थित हैं। साक्षी पी0डब्लू0–3 अर्चना द्विवेदी से आंशिक जिरह की गई और जिरह के स्तर पर ही अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि इस मामले में पंचायतनामा एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के समय वीडियोग्राफी की गई है जिसकी सी0डी0 एवं पेन ड्राइव न्यायालय में उपस्थित है। अतः कम्पयूटर विभाग से उपरोक्त सी0डी0/पेन ड्राइव को न्यायालय के समक्ष चलवा कर आगे की जिरह कराई जाए।

प्रस्तुतकार/रीडर द्वारा यह बताया गया है कि उपरोक्त मामले की सी0डी0/पेन ड्राइव सील कवर में न्यायालय में उपलब्ध है किन्तु आज समय की कमी के कारण न्यायालय समय में सी0डी0/पेन ड्राइव चलवाए जाने की व्यवस्था तत्काल हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः पत्रावली वास्ते शेष जिरह दिनांक 25.04.2024 को पेश हो।

उक्त दिनांक को सी0डी0/पेन ड्राइव चलाने की विधिक आवश्यकता के आधार पर आगे की जिरह कराई जाएगी।

इस मामले में अभियुक्त अविनाश पाण्डेय की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.03.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसे जिला कारागार से अभिरक्षा में लॉक–अप में लाया जाता है और लॉक–अप से न्यायालय व न्यायालय से वापस लॉक–अप ले जाते समय वादी रामसेवक द्विवेदी उसका पीछा करते हैं और

अपने मोबाईल से वीडियो बनाते व फोटोग्राफ खींचते हैं तथा वादी के साथ मौजूद बाहरी लोग भी लॉक–अप आते जाते उसका पीछा करते हैं जिससे भयभीत होकर पुलिसकर्मी उसे किसी तरह से बचाते हुए लॉक–अप से न्यायालय व न्यायालय से लॉक–अप पहुॅचाते हैं। इस प्रकार अभियुक्त को वादी रामसेवक द्विवेदी व उनके साथ के लोगों से जानमाल का खतरा है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जानमाल की सुरक्षा हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

इसके विपरीत वादी रामसेवक द्विवेदी की ओर से आपत्ति दिनांकित 05.04.2024 व 06.04.2024 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि इस मामले में वादी रामसेवक द्विवेदी तथा उसके परिवार को स्वयं ही अभियुक्त से जान का खतरा है और अभियुक्त पक्ष मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा गवाह को जान से मारने की धमकी दी जाती है। गवाह काफी भयभीत है अतः वादी व उसकी पत्नी गवाह अर्चना द्विवेदी की जानमाल की रक्षा हेतु उचित आदेश पारित किया जाए तथा अभियुक्त अविनाश पाण्डेय को जरिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग तलब किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह हत्या से संबंधित गम्भीर मामला है। अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय में पेश किए जाने के समय जानमाल के खतरे की आशंका का कथन किया है। इसके विपरीत वादी ने भी अभियुक्तगण से खतरे का कथन किया है। चूॅकि अभियुक्त द्वारा उसे न्यायालय के समक्ष ले आने व वापस ले जाने के समय जानमाल के खतरे की आशंका व्यक्त की गई है तथा अभियुक्त अविनाश पाण्डेय मुख्य अभियुक्त हैं। अतः उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायालय के मत में यह न्यायोचित होगा कि अभियुक्त अविनाश पाण्डेय को साक्ष्य अंकित किए जाने के दौरान जरिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग तलब किया जाए। प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.03.2024 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

अभियुक्त अविनाश पाण्डेय को साक्ष्य के दौरान अग्रिम नियत तिथियों पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए तलब किया जाए।

यहॉ स्पष्ट किया जाता है कि धारा–313 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित किए जाने के स्तर पर तथा अन्य विशेष अवसर, जिनके बारे में न्यायालय आदेशित करेगा, पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा।

पत्रावली वास्ते शेष जिरह उपरोक्त नियत दिनांक 25.04.2024 को पेश हो। साक्षी तलब हो।

(दिनेश पाल यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्या0 सं0–07,
लखनऊ।
(आई0 डी0 नं0–यू पी 6139)

Digitally signed by Dinesh Pal Yadav
Date: 2024.04.20 16:12:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court